न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 38/2019

अपीलांट्स –

1. देवाराम पुत्र पुराराम
2. नीम्बाराम पुत्र पुराराम
3. गणपत पुत्र पुराराम
4. केसी पत्नी पुराराम
5. मुलाराम पुत्र सिरदारा
6. मानाराम पुत्र सिरदारा
7. रामाराम पुत्र सिरदारा

   जातियान कुम्हार निवासी सांवलोर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. केसरा पुत्र सोनाराम
2. कानाराम पुत्र सोनाराम
3. पुरखाराम पुत्र सोनाराम
4. तुलछाराम पुत्र सोनाराम
5. कलाराम पुत्र सोनाराम
6. धीराराम पुत्र सोनाराम जातियान प्रजापत निवासी सांवलोर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 440 दिनांक 22.12.2004 जो खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 3 से 6 के अधिवक्ता अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.02.2023

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 440 दिनांक 22.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सांवलोर के खेत खसरा संख्या 303/97 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, 106 रकबा 145 बीघा 10 बिस्वा के खातेदारान क्रमशः पूरा मूला माना रामा पिसरान सिरदारा काना पुरखा तुलछा धीरा कला केहरा पिसरान सोना कौम कुम्हार साकिन के नाम खातेदारी दर्ज थी । प्रशासन आपके द्वार केम्प आकोडा के बंटवाडा ऐग्रीमेन्ट आदेश क्रमांक 440 दिनांक 22.12.2004 के आधार पर हल्का पटवारी सणाउ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 317 दायर कर तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

27.12.2004 को स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तकरण में उल्लेखित बंटवारा ऐग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि तहसीलदार चौहटन से चाही गयी जिस पर उक्त बंटवारा रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं होने से प्रतिलिपि जारी करने में असमर्थता प्रकट की गई। इस पर अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.08.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में तहसीलदार चौहटन द्वारा भारी कानूनी एवं विधिक भूल की गई है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 को अपीलाधीन भूमि सेटलमेन्ट मे सोना पुत्र वाला के नाम ग्राम सांवलोर में भूमि आई हुई थी। सोना पुत्र वाला की फौत होने से उक्त भूमि सोना के सातो पुत्रो अपीलकर्ता के पूर्वज सिरदारा एवं उतरदाता 1 से 6 के नाम दर्ज हो गई एवं अपीलकर्ता के पूर्वज सिरदारा के फौत होने से उक्त भूमि अपीलकर्ता के नाम हो गई जिससे अपीलकर्तागण व उतरदातागण सभी सह खातेदार थे एवं पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है। अपीलकर्तागण अनपढ़ व ग्रामीण असमझ होने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलकर्तागण को बिना बताये उतरदाता संख्या 1से6 ने उतरदाता संख्या 7 से मिलावट करके प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 22.12.2004 को उक्त खेतो का विभाजन अपीलाकर्तागण के कब्जे के विपरीत करवाकर उसकी तरमीम करवा दी। अपीलकर्तागण ने उतरदाता 7 द्वारा पारित आदेश क्रमांक 440 दिनांक 22.12.2004 की नकल मांगी जिस पर रेकर्ड रूम से जानकारी दी गई कि उक्त आदेश की पत्रावली रेकर्ड रूम में नहीं होना प्रकट किया। लिहाजा अपीलांट्स की उनके कब्जे–काश्त अनुसार भूमि का बंटवाड़ा नहीं कर गलत रूप से बंटवाड़ा किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलकर्तागण अनपढ़ व ग्रामीण असमझ होने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलकर्तागण को बिना बताये उतरदाता संख्या 1से6 ने उतरदाता संख्या 7 से मिलावट करके प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 22.12.2004 को उक्त खेतो का विभाजन अपीलाकर्तागण के कब्जे के विपरीत करवाकर उसकी तरमीम करवा दी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा अर्सा एक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

माह पूर्व जब रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट्स के कब्जा–काश्त में दखलअन्दाजी करते हुए अपीलांट्स को उनकी रहवासीय ढाणीयां हटाने का प्रयास करते हुए अपीलाधीन बंटवाडा होने की बात कही तब अपीलांट्स द्वारा बाड़मेर आकर विभाजन प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की गई जो उन्हें 18.06.2019 को प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई। गलत बंटवाडे की जानकारी होने पर वास्तविक जानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही है। इसके बावजूद अपील पेश करने में हुई देरी हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए अपील उपर्युक्त आधारों पर अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार फरमावें।

6. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि

7. मौजा सांवलोर के खेत खसरा संख्या 303/97 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, 106 रकबा 145 बीघा 10 बिस्वा के खातेदारान क्रमशः पूरा मूला माना रामा पिसरान सिरदारा काना पुरखा तुलछा धीरा कला केहरा पिसरान सोना कौम कुम्हार साकिन के नाम खातेदारी दर्ज थी । प्रशासन आपके द्वार केम्प आकोडा के बंटवाडा ऐग्रीमेन्ट आदेश क्रमांक 440 दिनांक 22.12.2004 के आधार पर हल्का पटवारी सणाउ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 317 दायर कर तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 27.12.2004 को स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तकरण में उल्लेखित बंटवारा ऐग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि तहसीलदार चौहटन से चाही गयी जिस पर उक्त बंटवारा रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं होने से प्रतिलिपि जारी करने में असमर्थता प्रकट की गई। इस पर अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.08.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलकर्तागण अनपढ़ व ग्रामीण असमझ होने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलकर्तागण को बिना बताये उतरदाता संख्या 1से6 ने उतरदाता संख्या 7 से मिलावट करके प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 22.12.2004 को उक्त खेतो का विभाजन अपीलाकर्तागण के कब्जे के विपरीत करवाकर उसकी तरमीम करवा दी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा अर्सा एक माह पूर्व जब रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलांट्स के कब्जा–काश्त में दखलअन्दाजी करते हुए अपीलांट्स को उनकी रहवासीय ढाणीयां हटाने का प्रयास करते हुए अपीलाधीन बंटवाडा होने की बात कही तब अपीलांट्स द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाड़मेर आकर विभाजन प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की गई जो उन्हें 18.06.2019 को प्राप्त हुई। अपीलांट्स द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई।

8. अपीलांट्स के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन प्रशासन आपके द्वार अभियान के दौरान ग्राम पंचायत आकाड़ो मे आयोजित शिविर में विभाजन स्वीकृत होना नामान्तरकरण संख्या 317 में उल्लेखित हैं। इस प्रकार अभियान के दौरान अपीलांट्स एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। अपीलांट द्वारा इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडें के करीब पन्द्रह वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

10. निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर